

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग।

आदेश

बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम-148 अन्तर्गत प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के नियमित पदस्थापन होने तक कार्यालय संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश संख्या-1220 दिनांक-19.03.15 को विलोपित किया जाता है।

3. इसमें प्रधान सचिव, सहकारिता का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 288/पटना, दिनांक 22-1-15

01/रा.स्था.(3)वि.स.से.-03/2011

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना/संयुक्त निबंधक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22-01-15

22-1-2015
सरकार के उप सचिव।